समक्ष एस.एस संधावालिया सी.जे और के.एस तीवाना जे.

करतार सिंह और अन्य- याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती प्रीतम कौर और अन्य- उत्तरदाता

आपराधिक विविध संख्या 2683M/1982

25 नवम्बर 1983

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 146(1) और 397(2)-अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश-प्रकृति-चाहे अंतिम या अंतरिम-ऐसे आदेश के खिलाफ संशोधन-चाहे सक्षम हो।

माना गया कि संहिता की धारा 146(1) के परंतुक से यह स्पष्ट है कि कुर्की का आदेश स्वाभाविक रूप से अस्थायी है। शर्तों में, उक्त परंतुक ने घोषणा की कि मजिस्ट्रेट किसी भी समय कुर्की के आदेश को वापस ले सकता है यदि वह संतुष्ट है कि विवाद के विषय के संबंध में अब शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है। किसी भी समय भाषा का उपयोग और लगाव को पूरी तरह से वापस लेने की शक्ति (न कि केवल उसकी शर्तों को संशोधित करना) महत्वपूर्ण हैं। जिस आदेश में इतनी क्षणभंगुरता का गुण हो कि उसे किसी भी समय वापस लिया जा सके, उसे आसानी से अंतिम आदेश या यहां तक कि मध्यवर्ती आदेश भी नहीं कहा जा सकता। यह उस पेनुमब्रल क्षेत्र के भीतर भी नहीं है जो पूरी तरह से अंतर्वर्ती आदेश और अंतिम आदेश के बीच है जिसे उदार निर्माण पर पुनरीक्षण योग्य कहा जा सकता है। संहिता की धारा 146(1) के तहत अचल संपत्ति की कुर्की के आदेश में ऊपर देखी गई विशेषताएं संहिता की धारा 397(2) के अर्थ के भीतर अंतर्वर्ती प्रकृति की हैं और परिणामस्वरूप इसके खिलाफ कोई संशोधन बनाए रखने योग्य नहीं है।

इस मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 28 जून, 1982 को विद्वान एकल न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति बी.एस. यादव द्वारा मामले को डिवीजन बेंच को भेजा गया था। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति कुलवंत सिंह तिवाना की खंडपीठ ने अंततः 25 नवंबर, 1983 को मामले का फैसला किया।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को तलब करने और उसके अवलोकन के बाद आक्षेपित आदेश को रद्द करने और न्याय के हित में कुर्की के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। आदेश पर रोक लगाई जाए ।

याचिकाकर्ता के वकील एस. एम. एल. अरोड़ा।
राज्य के लिए एच. एस. बराड़, डी.ए.जी.
प्रतिवादी की ओर से एच.एस. भुल्लर, वकील।

निर्णय

एस.एस संधावालिया सी.जे

1. क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 146 (1) के तहत अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश उक्त संहिता की धारा 397 (2) के अर्थ में अंतर्वर्ती प्रकृति का है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके लिए डिवीजन बेंच को संदर्भित करना आवश्यक है। समान रूप से, मुद्दा भवन पाल बनाम प्रेम कुमार जैन और अन्य, और शिशु और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामले में इस न्यायालय के भीतर एकल पीठ के विचारों में कथित विसंगति का है।
2. तथ्यों का मैट्रिक्स 1982 के आपराधिक विविध संख्या 2683-एम (करतार सिंह बनाम प्रीतम कौर और अन्य) से लिया जा सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 145 के तहत कार्यवाही, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, फरीदकोट की अदालत में, सदर पुलिस स्टेशन, मुक्तसर के स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा शुरू की गई थी।पार्टियों को नोटिस देने और उनकी सुनवाई करने के बाद; विद्वान मजिस्ट्रेट ने विवाद में कृषि संपत्ति को कुर्क कर लिया था और न्यायालय के अगले आदेश तक तहसीलदार, मुक्तसर को रिसीवर नियुक्त किया था। उक्त आदेश के खिलाफ, करतार सिंह और अन्य ने फरीदकोट के सत्र न्यायालय में एक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी, और इस आदेश को रद्द करने और पुनरीक्षण याचिका के अंतिम निपटान तक इसके निलंबन की अंतरिम राहत की मांग की।विरोधी पक्ष द्वारा तुरंत एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई कि ऐसा कोई भी संशोधन इस आधार पर सक्षम नहीं था कि संहिता की धारा 146(1) के तहत कुर्की का आदेश स्वाभाविक रूप से अंतर्वर्ती प्रकृति का था और संहिता की धारा 397 (2) की रोक थी। इसलिए, दृढ़ता से आकर्षित था। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 6 मई, 1982 के अपने आदेश द्वारा मुख्य रूप से शिशु और अन्य* मामले (सुप्रा) में फैसले पर भरोसा करते हुए प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखा।उक्त आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2683-एम 1982 (करतार सिंह बनाम प्रीतम कौर और अन्य) को प्राथमिकता दी गई, जो अकेले बैठे मेरे विद्वान भाई तेवतिया, जे. के समक्ष सुनवाई के लिए आया था।

उनसे पहले, इस तर्क के लिए भवन पीएवी केस (सुप्रा) पर भरोसा करने की मांग की गई थी कि कुर्की का आदेश अंतरिम नहीं था। मिसाल के तौर पर कुछ स्पष्ट विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, मामले को एक आधिकारिक निर्णय के लिए भेजा गया है।

3. निस्संदेह प्राथमिक और वास्तव में एकमात्र प्रश्न जो यहां शुरू में उठाया गया है, वह देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच न्यायिक राय की तीव्र दरार को इंगित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब और हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों ने एक दृष्टिकोण को अपनाया है, जबकि बॉम्बे, उड़ीसा और राजस्थान के उच्च न्यायालयों ने दूसरे को चुना है। इतने संकीर्ण रूप से विभाजित मामले में, किसी को अनिवार्य रूप से एक या दूसरे सुमेलित प्रतिद्वंद्वी राय की सदस्यता लेने के कुछ कठिन विकल्प का सामना करना पड़ता है।

4. यह स्पष्ट है कि यहां विशिष्ट प्रश्न बड़े लेकिन बारहमासी विवाद का एक अंग है, जो कि एक मात्र अंतःविषय आदेश और दो चरम सीमाओं के बीच स्थित पेनुमब्रल क्षेत्र के विपरीत अंतिम का गठन करता है। परस्पर विरोधी मामले कानून के द्रव्यमान को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ये दो शब्द प्रत्येक के लिए सटीक रूप से विशिष्ट परिभाषा देने में सक्षम नहीं हैं और जो स्वाभाविक रूप से अपरिभाषित लगता है उसे परिभाषित करने का यह एक व्यर्थ प्रयास होगा। कोई भी यह टिप्पणी करने से बच नहीं सकता है कि विद्वान प्रत्येक शब्द को सीमित करने का प्रयास करता है सटीक कानूनी परिभाषा का एक प्रोक्रस्टियन बिस्तर एक सर्कल की कुछ हद तक टॉटोलॉजिस्ट परिभाषा की याद दिलाता है, जो कि गोलाकार है।इसलिए, इस बात पर शोध प्रबंध शुरू किए बिना कि किसी अंतर्वर्ती आदेश के मुकाबले अंतिम आदेश की सटीक कानूनी विशेषताएं क्या हैं और दोनों के बीच एक बहुत तीखी रेखा खींचने का प्रयास करते हुए, मैं खुद को सीमित फोकल प्रश्न तक ही सीमित रखने का प्रस्ताव करता हूं-क्या इसमें संहिता की धारा 146(1) के विशिष्ट संदर्भ में, अचल संपत्ति की कुर्की मोटे तौर पर प्रकृति में अंतर्वर्ती है और वह भी धारा 397(2) के विशिष्ट उद्देश्य के लिए।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अरोड़ा ने इस प्रस्ताव पर प्रचार करते हुए कि संहिता की धारा 146(1) के तहत अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश किसी भी मामले में अंतरिम नहीं था, सबसे पहले हमारा ध्यान अंतिम की त्रयी अमर नाथ और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य, और वी.सी.शुक्ला बनाम राज्य सी.बी.एल. के माध्यम से, की ओर आकर्षित किया। उसमें की गई टिप्पणियों के आधार पर, श्री

अरोड़ा ने तर्क दिया है कि एक या दूसरे पक्ष की संपत्ति की कुर्की उनके अधिकारों को गहराई से प्रभावित करने वाली क्षण भर की बात थी और इसलिए, इसे अंतर्वर्ती के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता था और वास्तव में यह अर्ध-अंतिम था। किसी भी मामले में, यह तर्क दिया गया कि यह अंतिम और अंतर्वर्ती आदेशों के मध्यवर्ती श्रेणी में आता है और इसलिए, संहिता की धारा 397(2) के प्रयोजन के लिए, उपरोक्त मामले में बताए गए उदारवादी निर्माण पर अभी भी पुनरीक्षण योग्य हो जाएगा।

6. चूँकि यहाँ विवाद स्वीकार्य रूप से संहिता की धारा 145 और 146 के समग्र प्रावधानों के इर्द-गिर्द घूमता है, इसलिए संदर्भ की सुविधा के लिए उसके प्रासंगिक भागों को उद्धृत करना उपयुक्त है:

145. प्रक्रिया जहां भूमि या जल से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना हो (1) - जब भी कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य जानकारी से संतुष्ट होता है कि शांति भंग होने की संभावना वाला कोई विवाद मौजूद है अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि या पानी या उसकी सीमाओं के मामले में, वह अपने संतुष्ट होने के आधार बताते हुए लिखित रूप में एक आदेश देगा और ऐसे विवाद में संबंधित पक्षों को एक निर्दिष्ट तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा अपने न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता होगी और समय और विवाद के विषय पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के संबंध में अपने संबंधित दावों के लिखित बयान देने के लिए।

146.विवाद के विषय को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति- (1) यदि मजिस्ट्रेट धारा 145 की उपधारा (1) के तहत आदेश देने के बाद किसी भी समय मामले को आपातकालीन मानता है या यदि वह निर्णय लेता है कि कोई भी नहीं दोनों पक्षों के पास उस समय ऐसा कब्ज़ा था जैसा कि धारा 145 में बताया गया है, या यदि वह खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि उनमें से किसके पास विवाद के विषय का इतना कब्ज़ा था, तो वह सक्षम न्यायालय तक विवाद के विषय को संलग्न कर सकता है। उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण किया है:
बशर्ते कि ऐसा मजिस्ट्रेट किसी भी समय कुर्की वापस ले सकता है यदि वह संतुष्ट है कि विवाद के विषय के संबंध में अब शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है।जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, प्रतिद्वंद्वी-न्यायिक राय दोनों पक्षों में भिन्न होने के कारण, पहले सिद्धांत और क़ानून की भाषा के आधार पर मुद्दे की जांच करना ताज़ा लगता है। यहां जो बात सबसे पहले

ध्यान खींचती है वह यह है कि संहिता की धारा 146(1) के तहत कुर्की का आदेश स्वाभाविक रूप से अस्थायी है। यह उक्त प्रावधान के प्रावधान से स्पष्ट है।शर्तों में, यह घोषणा करता है कि मजिस्ट्रेट किसी भी समय कुर्की के आदेश को वापस ले सकता है यदि वह संतुष्ट है कि विवाद के विषय के संबंध में अब शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है। किसी भी समय भाषा का उपयोग और लगाव को पूरी तरह से वापस लेने की शक्ति (न कि केवल उसकी शर्तों को संशोधित करना) महत्वपूर्ण हैं। जिस आदेश में इतनी क्षणभंगुरता का गुण हो कि उसे किसी भी समय वापस लिया जा सके, उसे आसानी से अंतिम आदेश या मध्यवर्ती आदेश भी नहीं कहा जा सकता। मेरे विचार में, यह उस पेनुमब्रल क्षेत्र के भीतर भी नहीं है, जो पूरी तरह से अंतर्वर्ती आदेश और अंतिम आदेश के बीच है, जिसे उदार निर्माण पर पुनरीक्षण योग्य कहा जा सकता है। इसलिए, संहिता की धारा 146(1) के तहत कुर्की के आदेश के ऊपर देखी गई विशेषताएं इसे पूरी तरह से एक अंतर्वर्ती आदेश के लेबल के भीतर ले आएंगी।

7. फिर भी, संपत्ति की कुर्की और उसके लिए रिसीवर की नियुक्ति किसी भी तरह से उसके पक्षों के स्वामित्व को निर्धारित नहीं करती है। नतीजतन, कुर्की के तहत संपत्ति के स्वामित्व पर दूर-दूर तक कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। यह प्राथमिक प्रतीत होता है कि वास्तव में संहिता की धारा 145 और 146 के तहत कार्यवाही की पूरी श्रृंखला में, विवाद में संपत्ति के स्वामित्व का कोई सवाल पार्टियों के बीच नहीं उठता है।उच्चतम स्तर पर, यह अस्थायी रूप से कब्जे के अधिकार को प्रभावित करता है और वह भी इसे एक पक्ष से दूसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं करके, बल्कि इसे केवल कानूनी रूप से हिरासत में लेकर, जिसे फिर से देखा जा सकता है, किसी भी समय वापस लिया जा सकता है और इस प्रकार कब्जे को यथास्थिति में वापस लाया जा सकता है। शीर्षक और स्वामित्व के कारक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष विवाद के क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर हैं और कब्ज़ा और कुर्की भी प्रकृति में अस्थायी और क्षणिक है, ऐसे अन्य गुण हैं जो इस तरह के आदेश को अंतिम या प्रकृति में अर्ध अंतिम के रूप में लेबल किए जाने की अवधारणा के पूरी तरह से खिलाफ हैं।

8. आकस्मिकता की स्थिति में जहां कुर्की का आदेश वापस नहीं लिया जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह भी केवल कुछ समय के लिए सतही प्रश्न या कब्जे पर निर्भर करता है। जाहिर है, इस स्थिति में भी, कुर्की का आदेश अस्थायी प्रकृति का है क्योंकि यह तभी तक जारी रहेगा जब तक संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही मेरे कार्यकारी मजिस्ट्रेट के बिना समाप्त नहीं हो

जाती। यदि वह इस प्रश्न का निर्धारण करता है कि धारा 145 या संहिता के तहत प्रारंभिक आदेश के समय किस पक्ष या पक्ष का कब्ज़ा था, तो वह अनिवार्य रूप से ऐसे पक्ष को कब्ज़ा बहाल करने का निर्देश देगा और बेदखल होने तक उसे कब्ज़ा करने के लिए मुक्त घोषित करेगा। उसके बाद कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी। वैकल्पिक रूप से, यदि उसका विचार है कि अस्थायी आदेश की तारीख से दो महीने पहले पार्टियों में से एक को गलत तरीके से बेदखल कर दिया गया था, तो वह पार्टी को इस तरह से बेदखल कर सकता है जैसे कि उसने कब्जा कर लिया हो और तदनुसार आदेश पारित कर सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों में कुर्की केवल उपरोक्त मुद्दों के निर्धारण की अवधि के लिए ही बनी रहती है। समान रूप से; संहिता की धारा 115 की उप-धारा (बी) के तहत, यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष यह स्थापित किया जा सकता है कि उक्त धारा में परिकल्पित ऐसा कोई विवाद मौजूद नहीं है, तो वह अनिवार्य रूप से परिणामी परिणाम के साथ अदालत के प्रारंभिक आदेश को रद्द कर देगा। संपत्ति की कुर्की भी निरस्त की जाएगी। इससे भी अधिक, ऐसी परिस्थितियों में यदि सिविल कोर्ट के संदर्भ को अपरिहार्य बना दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्ति की कुर्की फिर से उन आदेशों के अधीन होती है जो सिविल कोर्ट रिसीवर या ऐसे आकस्मिक या परिणामी आदेशों के संबंध में पारित कर सकता है। किसी भी कोण से देखने पर, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि संहिता की धारा 146(1) के तहत संपत्ति की कुर्की प्रकृति में क्षणभंगुर है और यह मानने के लिए किसी महान ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि अनिवार्य रूप से क्षणभंगुर आदेश को आसानी से अंतिम या अर्ध अंतिम के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है।

9. फिर से अमर नाथ के मामले (सुप्रा) में, उनके आधिपत्य ने स्पष्ट रूप से देखा कि संहिता के तहत, आवश्यक रूप से ऐसे आदेश होंगे जो प्रकृति में अंतर्वर्ती हैं और इस प्रकार संशोधन के क्षेत्र से परे हैं। ऐसे अनगिनत आदेशों को विस्तृत किए बिना या निर्दिष्ट करने का प्रयास किए बिना, उन्होंने उदाहरणात्मक रूप से देखा: -

"इस प्रकार, उदाहरण के लिए, गवाहों को बुलाने, मामलों को स्थगित करने, जमानत के लिए आदेश पारित करने, रिपोर्ट मांगने और कार्यवाही में सहायता के लिए ऐसे अन्य कदम निस्संदेह अंतरिम आदेशों के समान हो सकते हैं, जिनके खिलाफ धारा 397 (2) के तहत कोई संशोधन नहीं होगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहां संपत्ति की कुर्की संहिता की धारा 145 के तहत लंबित कार्यवाही में सहायता के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे समक्ष यह किसी का मामला नहीं है कि अचल संपत्ति की कुर्की कानून की एक अनिवार्य या

अनिवार्य आवश्यकता है। संहिता की धारा 145 और 146 का उद्देश्य शांति भंग होने से रोकना और इसकी निरंतर संभावना के विरुद्ध उपाय करना है। यहां अचल संपत्ति की कुर्की को इस संबंध में लंबित कार्यवाही में सहायता के एक कदम के रूप में बहाल किया जाना है। इस प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि यह अमर नाथ के मामले (सुप्रा) में अंतिम न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेशों के वर्गीकरण या वर्गीकरण द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।

10. अंत में, इस संदर्भ में मामले का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य भी ऐसे आदेश के अंतिम और परिणामस्वरूप पुनरीक्षण योग्य वर्गीकरण के विरुद्ध है। यह कुछ हद तक स्वयंसिद्ध लगता है कि अपील या पुनरीक्षण आम तौर पर एक ऐसे आदेश के खिलाफ निर्देशित होता है जो या तो अंतिम या अर्ध अंतिम होता है या कम से कम स्थायित्व के गुण रखता है। जहां कुर्की का आदेश प्रकृति में क्षणिक है और या तो वापस लेने, रद्द करने या संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही में निर्णय के अधीन होने या मामले को नागरिक को संदर्भित करने के कारण निरंतर प्रवाह की स्थिति में हो सकता है। न्यायालय, तो यह असंगत होगा कि इस तरह के उतार-चढ़ाव वाले निर्णय के खिलाफ पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया जाए।उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने ठीक ही बताया कि इसका अर्थ निम्न और उच्च न्यायालयों द्वारा एक ही आदेश का समानांतर निर्णय होगा। इस प्रकार, यदि पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो वह या तो वापस ले सकता है। संहिता की धारा 145 के तहत कुर्की आदेश को रद्द करें या मामले का फैसला करें और इसके हकदार पक्ष को कब्जा बहाल करें। इसके बाद पुनरीक्षण अदालत को एक अजीब सी बात पर निर्णय देने के लिए छोड़ दिया जाएगा।

11. अब उदाहरणों की ओर बढ़ते हुए, सबसे पहले मोहिंदर सिंह बनाम श्री दिलबाग राय में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें, संहिता की धारा 145 और 146 के तहत कार्यवाही की वास्तविक प्रकृति को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया था: -

"दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 शांति बनाए रखने के स्पष्ट उद्देश्य से लागू की गई एक लाभकारी धारा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसमें विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने का आपातकालीन प्रावधान प्रदान किया गया है। इस धारा के तहत आपराधिक अदालत केवल एक अस्थायी आदेश पारित कर सकती है कि पक्षों के अधिकारों का निपटान वास्तव में सिविल अदालतों द्वारा किया जाना है। संदर्भ (राम प्रताप बनाम पंजाब राज्य) में हालिया डिवीजन बेंच के फैसले का भी उपयुक्त है, जिसमें संहिता की धारा

146 (1) के तहत आदेश की प्रकृति की जांच करने के बाद, यह माना गया था कि इसे पारित भी किया जा सकता है। एक या दोनों पक्षों की सुनवाई के बिना। इसमें, आधिकारिक तौर पर यह भी देखा गया है कि कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा पहले लिया गया दृष्टिकोण था कि संहिता की धारा 146 (1) के तहत कुर्की ने धारा 145 के तहत कार्यवाही को लगभग समाप्त कर दिया है। मथुरालाल बनाम भंवरलाल और अन्य मामले में अंतिम न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद संहिता अब मान्य नहीं रह गई थी। एक बार ऐसा होने पर, विपरीत दृष्टिकोण के लिए शीट-एंकर कि पार्टियों के अधिकार अंततः और अपरिवर्तनीय रूप से कुर्की से प्रभावित होते हैं, गायब हो जाता है। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि विपरीत दृष्टिकोण वाले निर्णयों में मथुरालाल के मामले (सुप्रा) को, उसके वास्तविक अर्थ में, पर्याप्त रूप से नोटिस नहीं किया गया है या उसकी सराहना नहीं की गई है।

12. इस न्यायालय के निर्णयों के अलावा, इंद्र देव पांडे बनाम श्रीमती में हालिया डिवीजन बेंच का निर्णय। भगवती देवी याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए अधिकांश तर्कों का पूर्ण उत्तर देती हैं। मामले की विस्तृत जांच के बाद (जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूं), यह माना गया कि सोहन लाल बर्मन बनाम यूपी राज्य में उसी उच्च न्यायालय की पिछली डिवीजन बेंच का दृष्टिकोण, वास्तव में मथुरालाल का मामला में आधिकारिक घोषणा के बाद अब अच्छा कानून नहीं था।

13. उपरोक्त के प्रकाश में, याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए सभी निर्णयों को अलग-अलग अलग करना अनावश्यक नहीं तो अनावश्यक होगा। यह विशेष रूप से हसमुख जे झावेरी बनाम शेलिया ददलानी और अन्य 1981 सीआरएलजे 958 का उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है। इसमें विद्वान न्यायाधीश हैं यह निर्धारित करने के लिए बारह प्रस्ताव रखने की मांग की गई कि क्या कोई आदेश अंतरिम था या अन्यथा। मुझे अत्यंत सम्मान के साथ यह प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में एक सटीक परिभाषा और अनम्य मानदंड निर्धारित करने का प्रयास व्यर्थ प्रतीत होता है। प्रस्ताव संख्या 10 और 11 में यह देखा गया है कि एक आदेश जो पार्टी के महत्वपूर्ण अधिकार या दायित्वों को तय करता है या यहां तक कि छूता है, उसे अंतर्वर्ती नहीं कहा जा सकता है। बड़ी विनम्रता के साथ जैसे दिशानिर्देश या प्रस्ताव केवल यह प्रश्न पूछते हैं कि कैसे और किसमें स्वर्णिम पैमाने पर यह तय किया जाना है कि पार्टी के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है या दायित्व? यह कब माना जा सकता है कि आदेश न केवल निर्णय लेता है बल्कि केवल ऐसे अधिकार को छूता है? यह शब्दार्थ विज्ञान या तत्वमीमांसा अमूर्तन में कुछ हद तक

निरर्थक अभ्यास होगा जो किसी मुद्दे को हल करने के बजाय उलझाने की अधिक संभावना रखता है। फिर, यह देखा गया है कि एक आदेश जो पार्टियों के अधिकारों को काफी हद तक प्रभावित करता है या पार्टियों के कुछ अधिकारों का फैसला करता है, उसे वार्ताकार नहीं कहा जा सकता है। ऐसा मानदंड इतना अस्पष्ट है कि इसका व्यावहारिक उपयोग बहुत कम है। यही बात प्रस्ताव 12 के बारे में भी कही जा सकती है जो इस प्रकार है। अत्यंत सम्मान के साथ, मैं हशमुख जे जावेरी के मामले में इस दृष्टिकोण से अपनी असहमति दर्ज करना चाहता हूं कि संहिता की धारा 146(1) के तहत कुर्की के आदेश को कभी भी अंतर्वर्ती आदेश की शर्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। समान कारणों से, मैं चंद्रभानु गौंटी के मामले, रूपा जेना के मामले और अब्दुल जब्बार खान के मामले से अलग होगा।

14. पहले बताए गए विस्तृत कारणों के लिए, मैं बृज लाल चाकू बनाम अब्दुल अहद निशात, पूरन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, और इंद्र देव पांडे के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले और मोहिंदर सिंह और राम प्रताप के मामले में इस अदालत की डिवीजन बेंच के फैसले से सहमत हूं।

15. बारीकी से विश्लेषण करने पर, मुझे भवन पाल बनाम प्रेम कुमार के मामले और शिशु एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के विचार में कोई अंतर्निहित विरोधाभास नहीं दिखता। भवन पाल के मामले में रिपोर्ट के पैराग्राफ 5 में किए गए अवलोकन के एक मात्र अवलोकन से संकेत मिलता है कि इसमें याचिकाकर्ता को कोड की धारा 145 के तहत की गई कार्यवाही में शामिल होने और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए आदेश का संदर्भ था। प्रश्नगत घर पर कब्ज़ा होने के उसके दावे का समर्थन करना और कार्यवाही के दौरान घर को कुर्क करना और उसे उक्त इमारत से बाहर निकाल देना। ऐसे समग्र आदेश के संदर्भ में विद्वान न्यायाधीश ने कहा था कि अमर नाथ के मामले में तर्क की समानता पर, आदेश को अंतरिम नहीं कहा जा सकता है और यदि ऐसा था भी, तो अदालत को इसकी वैधता की जांच करने से नहीं रोका गया था। और मधु लिमाया के मामले को ध्यान में रखते हुए, संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में औचित्य। ये टिप्पणियाँ किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं के मामले में सहायता या प्रगति नहीं करती हैं या शिशु और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के दृष्टिकोण के विपरीत नहीं हैं। पिछली चर्चा के आलोक में, शिशु और अन्य के मामले की पुष्टि की जाती है।

16. मिसाल की स्पष्टता के लिए, इस न्यायालय के भीतर, यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा सुरिंदर सिंह और अन्य

बनाम पंजाब राज्य और अन्य पर सीमांत निर्भरता शायद ही उचित है। यह सच है कि इसमें उनके खिलाफ एक आपराधिक पुनरीक्षण है संहिता की धारा 146(1) के तहत कुर्की के आदेश पर विचार किया गया और अनुमति दी गई। हालाँकि, इसकी रखरखाव और संहिता की धारा 397(2) की रोक से संबंधित मुद्दे को दूर-दूर तक नहीं उठाया गया या उस पर निर्णय नहीं दिया गया। अब यह एक पवित्र नियम है कि एक निर्णय उस बिंदु पर कोई अधिकार नहीं है, जिसे न्यायालय के समक्ष बिल्कुल भी दबाया या स्थगित नहीं किया गया था। केवल अत्यधिक सावधानी के तौर पर, यह देखा जाना चाहिए कि यदि सुरिंदर सिंह और अन्य के मामले को इस प्रस्ताव के लिए वारंट के रूप में समझा जाना चाहिए कि धारा 146(1) के तहत कुर्की के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण अभी भी मनोरंजक है तो वही अच्छा कानून नहीं है ।

17. निष्कर्ष निकालने के लिए, शुरुआत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया गया है और यह माना जाता है कि संहिता की धारा 146(1) के तहत एक अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश प्रकृति में अंतर्वर्ती है। संहिता की धारा 397(2) और परिणामस्वरूप इसके विरुद्ध कोई संशोधन कायम करने योग्य नहीं है।

18. उपरोक्त को लागू करते हुए, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के विचार को बरकरार रखते हुए, प्रारंभिक आपत्ति कि पुनरीक्षण पोषणीय नहीं था, की पुष्टि की जाती है और वर्तमान आपराधिक विविध आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

के.एस तिवाना, जे.-मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशीष कुमार मंडल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
फिरोज़पुर झिरका, नूंह